# —: बैठक कार्यवृत्त :—

दिनाँक 01.07.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट, पीलीभीत में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री संयज कुमार, जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत।
2. श्री रोहित भारती, जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत।
3. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पीलीभीत।
5. श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
6. श्री दाताराम, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
7. श्री मो0 शफीक, सहायक अभियन्ता, डी0डब्लू0एस0एम0, पीलीभीत।
8. श्री इमामत हुसैन, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
9. श्री इरफान रज़ा, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
10. श्री आशुतोष कुमार, जूनियर इंजीनियर, डी0डब्लू0एस0एम0, पीलीभीत।
11. श्री सर्वेश बाबू, जूनियर इंजीनियर, डी0डब्लू0एस0एम0, पीलीभीत।
12. श्री मो0 नासिर खां, उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 टी0पी0आई0 एजेन्सी, पीलीभीत।
13. श्री आमिर अली खां, उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 टी0पी0आई0 एजेन्सी(O&M), पीलीभीत।
14. श्री विशाल सिंह, जिला समन्वयक/टीम, डी0पी0एम0यू0, पीलीभीत।
15. श्री के0 रमेश, परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, पीलीभीत।
16. श्री धीरेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै0 विश्वराज इंवायरमेंट प्रा0लि0, पीलीभीत।
17. श्री अमन सिंह, परियोजना प्रबन्धक, मै0 ओम कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स, पीलीभीत।
18. समस्त जिला समन्वयक, आई0एस0ए0।

बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति पुस्तिका के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को कार्यदायी संस्था–वार, विकासखण्ड–वार एवं योजनावार प्रगति से अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गई :–

- योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति।
- विकासखण्डवार एवं कार्यदायी संस्था–वार प्रगति।
- नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों की स्थिति।
- ओवरहेड टैंक(OHT), टयूबवैल, पम्प हाउस एवं वितरण प्रणाली की प्रगति।
- एफ.एच.टी.सी. (Functional Household Tap Connection) की उपलब्धि।
- सड़क पुनर्स्थापना कार्यों की स्थिति।
- जल अर्पण गतिविधियों की प्रगति।
- जल गुणवत्ता परीक्षण, क्लोरीनेशन एवं नियमित जलापूर्ति।
- आई.जी.आर.एस. शिकायतों की स्थिति एवं निस्तारण।
- आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी, आईएमआईएस, जियो टैगिंग, ओ एंड एम, ग्राम प्रमाणीकरण, आईएसए गतिविधियों तथा अन्य शासन स्तर पर अपेक्षित बिन्दुओं की समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत प्रगति की समीक्षा उपरांत कार्यों में और अधिक गति, गुणवत्ता, समन्वय एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए :–

**1. नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों का सत्यापन**

अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जनपद के ऐसे समस्त ग्रामों की, जहाँ नियमित पेयजल आपूर्ति संचालित है, विकासखण्डवार अद्यतन सूची तत्काल तैयार कर समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार प्रत्येक ग्राम का स्थलीय निरीक्षण करें। नियमित पेयजल आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन करें। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त करें। यदि किसी ग्राम में जलापूर्ति बाधित हो तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

विस्तृत सत्यापन आख्या अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, संबंधित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर उक्त सत्यापन कार्य में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेंगे।

## 2. ओवरहेड टैंक (OHT) निर्माण कार्यों की प्रगति

ओवरहेड टैंक निर्माण कार्यों की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। दोनों कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निर्माणाधीन ओएचटी पर पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी तत्काल लगाई जाए।

प्रत्येक ओएचटी हेतु माइक्रो लेवल कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाए। सामग्री की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निर्माणाधीन ओएचटी की नियमित समीक्षा करें। सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति प्राप्त करें। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। साप्ताहिक समीक्षा में एजेंसीवार प्रगति प्रस्तुत करें। टीपीआई को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण कर किसी भी कमी (NC) की सूचना तत्काल अधिशासी अभियन्ता एवं कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराएं।

## 3. जल शुल्क (Water Charges) निर्धारण एवं वसूली

जिन ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है, वहाँ सक्षम स्तर से जल शुल्क निर्धारण संबंधी आदेश शीघ्र निर्गत कराते हुए जल शुल्क वसूली प्रारम्भ कराई जाए। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता आवश्यक प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित करें। समस्त खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित करें। आईएसए एजेंसियां ग्राम स्तर पर जनजागरूकता अभियान संचालित करें। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय करते हुए नियमित जल शुल्क संग्रहण सुनिश्चित कराया जाए। वसूली की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

## 4. सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration)

समीक्षा के दौरान ग्राम कनाकोर में सड़क की खराब स्थिति का उल्लेख किया गया, जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश सड़क पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता शत-प्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना वाले ग्रामों की सूची समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता एवं वास्तविक प्रगति का सत्यापन करें। संबंधित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर संयुक्त निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्थाएं शेष सड़क पुनर्स्थापना कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। टीपीआई द्वारा सड़क पुनर्स्थापना कार्यों की गुणवत्ता का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए। यदि किसी स्थान पर कार्य अपूर्ण अथवा गुणवत्ताहीन पाया जाता है तो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सत्यापन उपरांत विस्तृत आख्या अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाए।

## 5. शासकीय संस्थानों एवं गोशालाओं में पेयजल संयोजन उपलब्ध कराना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, परिषदीय विद्यालयों, अन्य शासकीय संस्थानों तथा समस्त संचालित गोशालाओं में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना शासन की प्राथमिकता है। ऐसे समस्त संस्थानों का सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर पेयजल संयोजन उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में निम्न निर्देश दिए गए :-

अधिशासी अभियन्ता संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर संस्थानवार कार्ययोजना तैयार करेंगे। समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थानों का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित समयावधि में कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से समन्वय स्थापित कर कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। डीपीएमयू संस्थानवार प्रगति का पृथक अभिलेख संधारित करेगा तथा समीक्षा बैठक हेतु अद्यतन विवरण उपलब्ध कराएगा।

## 6. विवादित स्थलों का निस्तारण एवं कार्य प्रारम्भ कराना

समीक्षा के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में भूमि विवाद, पाइपलाइन विरोध, सड़क कटिंग, निजी भूमि, जनविरोध अथवा अन्य स्थानीय कारणों से कार्य प्रभावित हैं, उनका तत्काल निस्तारण कराया जाए। इस संबंध में निम्न निर्देश दिए गए कि संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित कर विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता विवादित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। कार्यदायी संस्था प्रत्येक विवादित स्थल का अद्यतन विवरण अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराएगी। जिन प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव न हो, उनमें अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से वार्ता कराई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी ग्राम में चौपाल आयोजित कर जनसमझाइश के माध्यम से विवाद समाप्त कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विवाद के कारण कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।

## 7. आईजीआरएस शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आईजीआरएस शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए निर्देशित किया गया कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक एवं संतोषजनक होना चाहिए, जिस हेतु निर्देशित किया गया कि दोनों कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक प्रत्येक शिकायत का स्थलीय सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। शिकायत निस्तारण में न्यूनतम 03 दिवस का गैप रखा जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा सत्यापन कराया जा सके। निस्तारण आख्या में जियो टैग्ड फोटोग्राफ एवं आवश्यक साक्ष्य संलग्न किए जाएं। कोई भी शिकायत डिफाल्टर न होने पाए। अधिशासी अभियन्ता प्रतिदिन लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे। डीपीएमयू पोर्टल पर लंबित शिकायतों की दैनिक मॉनिटरिंग करेगा। संबंधित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर शिकायतों का स्थलीय सत्यापन कर प्रमाणित आख्या उपलब्ध कराएंगे।

## 8. जीरो पॉवर्टी परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल संयोजन एवं शत–प्रतिशत संतृप्तिकरण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा के दौरान प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चयनित जीरो पॉवर्टी परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा से संतृप्त किया जाए, जिस हेतु निम्नवत् निर्देश पारित किये गये कि :–

1. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर विकासखण्डवार जीरो पॉवर्टी परिवारों की सूची का सत्यापन कर लंबित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल संयोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित कार्यदायी संस्थाएं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।
3. डीपीएमयू विकासखण्डवार प्रगति का पृथक अनुश्रवण करते हुए साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
4. आईएसए एजेंसियां पात्र परिवारों को जागरूक करते हुए पेयजल संयोजन एवं नियमित उपयोग सुनिश्चित कराएं।
5. समस्त बीडीओ ग्राम पंचायतों के माध्यम से अभियान की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करें।

## 9. जल अर्पण, हैंडओवर एवं हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान

अधोहस्ताक्षारी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया गया कि सितंबर, 2026 तक जिन योजनाओं का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस प्रारम्भ हो चुका है, उन सभी योजनाओं के प्रत्येक ग्राम में जल अर्पण, ग्राम पंचायत को हैंडओवर एवं हर घर जल प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

साथ ही निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों को हर घर जल के रूप में रिपोर्ट किया जा चुका है, उनमें भी जल अर्पण, हैंडओवर एवं हर घर जल प्रमाणीकरण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराई जाए, जिस हेतु निम्नवत् में निर्देशित किया गया कि :–

1. जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2026 का विस्तृत माइक्रो वर्क प्लान तैयार किया जाए।
2. प्रत्येक योजना हेतु ग्रामवार कार्यक्रम निर्धारित किया जाए।
3. अधिशासी अभियन्ता मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा करें।
4. डीपीएमयू पोर्टल पर प्रगति का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करे।
5. आईएसए एजेंसियां ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करें।
6. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यवाही पूर्ण कराएं।
7. निर्धारित समयावधि में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

## 10. वाटर लॉगिंग/वाटर बॉडी के समीप स्थित ओवरहेड टैंकों की संरचनात्मक सुरक्षा

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मै0 पीएनसी कंपनी के 22 ओवरहेड टैंक, तथा मै0 विश्वराज कंपनी के 23 ओवरहेड टैंक ऐसे स्थलों पर निर्मित हैं, जहाँ नदी, तालाब अथवा अन्य जलभराव (Water Logging/ Water Body) की स्थिति है। पूर्व में अन्य जनपद में घटित संरचनात्मक दुर्घटना का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को पूर्णतः समाप्त किया जाए, जिस हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

1. ऐसे समस्त ओवरहेड टैंकों की सूची तत्काल तैयार की जाए।
2. प्रत्येक स्थल पर Soil Bearing Capacity (SBC) का पुनः परीक्षण सक्षम तकनीकी संस्था से कराया जाए।
3. आवश्यकता अनुसार विस्तृत संरचनात्मक सुरक्षा परीक्षण कराया जाए।
4. परीक्षण के उपरांत आवश्यक Remedial Measures (जैसे ग्राउटिंग, स्ट्रेंथनिंग, रिटेनिंग व्यवस्था, ड्रेनेज सुधार आदि) तत्काल कराए जाएं।
5. टीपीआई द्वारा स्वतंत्र तकनीकी सत्यापन कराया जाए।
6. अधिशासी अभियन्ता प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें तथा अनुपालन आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
7. कार्य पूर्ण होने तक नियमित निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

## 11. कार्यों में अपेक्षित गति एवं समयबद्ध पूर्णता

बैठक के अंत में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समस्त कार्य निर्धारित समयसीमा में

गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का व्यक्तिगत रूप से निर्वहन करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

# कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत।

**पत्रांक** : 2473 / M-07 / 53 **दिनांकः** 14-07-2026

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(मु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
8. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, पीलीभीत।
10. उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0एल0जी0 कान्सट्रक्शन सर्विसेज (टी0पी0आई0 एजेन्सी), पीलीभीत।
11. उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0एल0जी0 कान्सट्रक्शन सर्विसेज (टी0पी0आई0 एजेन्सी– O&M), पीलीभीत।
12. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, पीलीभीत।
13. समस्त जिला समन्वयक, आई0एस0ए0, पीलीभीत।

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।